संख्या ए–32022/3/2013–स्था–7/317–350
भारत सरकार
केन्द्रीय जल आयोग

सेवा भवन, आर.के. पुरम्,
नई दिल्ली–110066.
दिनांक : 20 मार्च, 2014

कार्यालय आदेश

विभागीय जांच समिति की दिनांक 11.03.2014 को हुई इसकी बैठक की सिफारिशों और कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 19.05.2009 के कार्यालय ज्ञापन सं. 35034/3/2008–स्था(डी) में दिए गए अनुदेशों के अनुसार और सरकार द्वारा इस संबंध में समय–समय पर जारी किए गए स्पष्टीकरण के परिणामस्वरूप केन्द्रीय जल आयोग के अधीनस्थ कार्यालयों के अनुसचिवीय संवर्ग के निम्नलिखित उच्च श्रेणी लिपिक/अवर श्रेणी लिपिक (समूह–'ग' अराजपत्रित कर्मचारियों) को उनके नाम के सामने दर्शाए गए वेतन बैंड वेतनमानों एवं वेतन ग्रेड में वित्तीय उन्नयन प्रदान किया जाता है:

क्र. सं.	नाम	एमएसीपीएस के तहत वित्तीय उन्नयन प्रदान करने के लिए पात्रता की तारीख			वेतन बैंड	वेतनमान	ग्रेड वेतन
		प्रथम	द्वितीय	तृतीय			
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	श्री आर.एस. तालमाले उच्च श्रेणी लिपिक	–	–	12.12.2013	पीबी–2	9300–34800 रू.	4600 रू.
2.	श्री एस.के.शतक उच्च श्रेणी लिपिक	–	–	05.03.2013	पीबी–2	9300–34800 रू.	4600 रू.
3.	श्री जे.पी. सुमन उच्च श्रेणी लिपिक	–	–	09.09.2013	पीबी–2	9300–34800 रू.	4600 रू.
4.	श्री डी.डी.रामटेके उच्च श्रेणी लिपिक	–	–	17.09.2013	पीबी–2	9300–34800 रू.	4600 रू.
5.	श्री तुलसी राम उच्च श्रेणी लिपिक	–	–	22.09.2013	पीबी–1	5200–20200 रू.	2800 रू.
6.	श्री एस.आर.ईश्वरी उच्च श्रेणी लिपिक	–	–	19.12.2013	पीबी–2	9300–34800 रू.	4600 रू.
7.	श्री एन.बी. भट्टाचार्यजी, उच्च श्रेणी लिपिक	–	–	19.09.2013	पीबी–2	9300–34800 रू.	4600 रू.
8.	श्री पी.एस.सतीश कुमार, उच्च श्रेणी लिपिक	–	–	19.01.2014	पीबी–2	9300–34800 रू.	4600 रू.
9.	श्री एस.पी.देव चौधरी, उच्च श्रेणी लिपिक	–	–	31.10.2013	पीबी–2	9300–34800 रू.	4600 रू.
10.	श्री एस.सी. योगी, उच्च श्रेणी लिपिक	–	–	22.11.2013	पीबी–2	9300–34800 रू.	4600 रू.
11.	श्री जय कृष्ण, अवर श्रेणी लिपिक (सेवानिवृत्त)	–	01.09.2008	01.09.2008	पीबी–1	5200–20200 रू.	2000 रू. (द्वितीय एमएसीपी) 2400 रू. (तृतीय एमएसीपी)

SMZ अनु./Sec./निदे./Dir.
डा. सं./Dy. No. 617
दिनांक/Date 26/3

2. एमएसीपी के तहत वित्तीय उन्नयन प्रदान करने पर उनके पदनाम, वर्गीकरण या उच्चतर दर्जे में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तथापि, वित्तीय एवं कतिपय अन्य लाभ जो कर्मचारी द्वारा आहरित वेतन के साथ जुड़े हैं, अनुमत्य होंगे।

3. एमएसीपीएस के तहत अनुमत्य वित्तीय लाभ अन्तिम होंगे और नियमित पदोन्नति के समय उनको कोई वेतन निर्धारण का लाभ नहीं मिलेगा तथा एमएसीपीएस के तहत वित्तीय उन्नयन प्रदान करने पर वेतन के निर्धारण के संबंध में केवल वेतन ग्रेड का अंतर ही दिया जाएगा।

4. उक्त कर्मचारियों के पास एफआर 22 (1) (ए) (1) के अंतर्गत या तो वित्तीय उन्नयन की तारीख से या वेतनवृद्धि की तारीख से उच्चतर वेतन ग्रेड में वेतन निर्धारण का विकल्प होगा।

5. एमएसीपीएस के तहत उच्चतर वेतनमान इस शर्त पर प्रदान किया जाएगा कि जब वित्तीय उन्नयन अनुमत्य किया गया है और कर्मचारी तदन्तर पदोन्नति अस्वीकार करता है, तो यह वित्तीय उन्नयन वापस लेने का आधार नहीं होगा। तथापि जब तक वह पदोन्नति पर विचार किए जाने पर सहमत नहीं होगा तब तक वह आगे वित्तीय उन्नयन पर विचार करने का पात्र नहीं होगा तथा अस्वीकार्यता के कारण विचार न किए जाने की अवधि तक अगला वित्तीय उन्नयन भी नहीं मिलेगा।

6. एमएसीपीएस के अंतर्गत वित्तीय उन्नयन कर्मचारियों के लिए पूर्णतया वैयक्तिक होगा तथा उनकी वरिष्ठता स्थिति के लिए किसी भी प्रकार से प्रासंगिक नहीं होगा। इस प्रकार, वरिष्ठ कर्मचारियों के लिए इस आधार पर कोई अतिरिक्त वित्तीय उन्नयन नहीं होगा कि उसी ग्रेड में कनिष्ठ कर्मचारियों को एमएसीपीएस योजना के तहत उच्चतर वेतमान मिला है।

7. एमएसीपीएस के तहत वित्तीय उन्नयन प्रदान करने पर वेतन का निर्धारण लेखा परीक्षा के अधीन होगा और एमएसीपीएस के तहत वित्तीय उन्नयन प्रदान करने एवं तदन्तर वेतन निर्धारण के कारण कर्मचारियों द्वारा आहरित अतिरेक वेतन एवं भत्ता राशि एकमुश्त वापस लौटानी होगी।

(राजेश शर्मा)
अवर सचिव

प्रतिः—

1. वेतन एवं लेखा अधिकारी, के.ज.आ., सेवा भवन, नई दिल्ली।
2. आईबीओ, चंडीगढ़/वाईबीओ, नई दिल्ली/प्रबोधन (मध्य), नागपुर/सीएसआरओ, कोयम्बटूर/एलजीबीओ, पटना/बीबीबीओ, शिलांग/केजीबीओ, हैदराबाद के मुख्य अभियंता/अधीक्षण अभियंता(सी)।
3. चेनाब मंडल, जम्मू/वेनगंगा मंडल, नागपुर/एसआरडी, कोयम्बटूर/एमजीडी–4, पटना/योजना एवं नि. मंडल, फरीदाबाद/एनईआईडी–1, सिल्चर/एलकेडी, हैदराबाद/चम्बल मण्डल, जयपुर के मुख्य अभियंता।
4. निदेशक, प्रबोधन एवं मूल्यांकन निदेशालय, कोयम्बटूर।
5. संबंधित कार्मिक।
6. वैयक्तिक फाईल।
7. निदेशक(एसएमडी), सेवा भवन को इस अनुरोध सहित कि इस आदेश की प्रति को के.ज.आ. की वेबसाइट पर अपलोड करें।